भारत का संविधान

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक **न्याय**; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की **स्वतंत्रता**;
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारिख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं।**